UPGK010045142021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

उपस्थितः सिद्धार्थ सिंह (एच. जे. एस.) J.O. Code-UP6318

सत्रवाद संख्या-825/2021

राज्य............... बनाम........................ सन्तोष उर्फ ईश्वर ज्वैलर्स

मु०अ०सं०-182/2018
अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम, 2003
थाना-गोला, जनपद-गोरखपुर।

राष्ट्रीय लोक अदालत

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

2. अभियुक्तगण सन्तोष उर्फ ईश्वर ज्वैलर्स एवं कुर्बान उर्फ समीर के विरुद्ध पुलिस थाना-गोला, जनपद- गोरखपुर द्वारा मु०अ०सं०-182/2018, अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम, 2003 का आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2016 को समय 14:40 बजे प्रथम सूचनाकर्ता शिवशंकर प्रसाद अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र गोला मय लाईनमैन द्वारा स्थान मैन चौक गोला थाना-गोला, जनपद-गोरखपुर में स्थित आप लोगों की दुकान का निरीक्षण/चेकिंग किया गया तो पाया कि आप लोगों के द्वारा मीटर से पहले केबिल काटकर व बाईपास करके अवैध रूप से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना-गोला, जनपद-गोरखपुर में अपराध संख्या-182/2018 पर धारा-135 विद्युत अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी में किया गया।

5. विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा गवाहान व अभियुक्तगण के बयान अंकित किये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-135 विद्युत अधिनियम के अपराध के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

6. अभियुक्तगण को विचारण के लिये आहूत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा उन्हें धारा-207 दं०प्र०सं० के अधीन स्वच्छ एवं पठनीय अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकले प्रदान की गयीं।

7. अभियुक्तगण की उपस्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 04.07.2024 को धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विचरित किया गया, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

8. अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०-1 के रूप में संतोष कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिकारीगंज, गोरखपुर को परीक्षित कराया गया है तथा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गोरखपुर द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 28.02.2026 को **प्रदर्श क-1** के रूप में साबित किया गया है।

9. विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

10. अभियुक्तगण पर आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा मीटर से पहले केबिल काटकर व बाईपास करके अवैध रूप से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था।

11. दौरान विचारण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड, सिकारीगंज, गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रेषित पत्र इस न्यायालय को प्राप्त कराया गया जो पत्रावली पर विद्यमान है। उक्त पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्धारित राजस्व के साथ शमन शुल्क की राशि प्राप्त किये जाने के संबंध में है।

12. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में दिनांक 11.03.2026 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिकारीगंज, गोरखपुर पी०डब्लू०-1 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ कथन किया गया कि अभियुक्तगण ने अपना समस्त बकाया राजस्व धनराशि तथा शमन शुल्क का भुगतान कर दिया है। कोई शेष बकाया देय नहीं है। भुगतान के संबंध में दिनांक 28.02.2026 को पत्रांक सख्या-627 मेरे हस्ताक्षर में जारी किया गया है, जो पत्रावली में शामिल कागज सं०-16ख है, जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क-1 डाला गया।

13. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 के अन्तर्गत जहाँ उपभोक्ता एवं विद्युत विभाग के मध्य कोई सुलह समझौता हो गया है और मामले का शमन कर दिया गया है, तो ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 का अपराध एक शमनीय अपराध है। विद्युत अधिनियम की धारा-152 के अन्तर्गत विद्युत विभाग ने अभियुक्तगण के इस अपराध का शमन कर दिया है। विद्युत अधिनियम की धारा-152 यह भी उपबंधित करती है कि जहाँ इस निमत्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अनुसार शमन शुल्क स्वीकार कर लिया गया है तो इसका प्रभाव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्ति समझा जायेगा।

14. प्रस्तुत मामले में शमन शुल्क अदा कर दिया गया है तथा अपराध का शमन कर दिया गया है। अतः अभियुक्तगण धारा-135 विद्युत अधिनियम, 2003 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण सन्तोष उर्फ ईश्वर ज्वैलर्स एवं कुर्बान उर्फ समीर को सत्रवाद सं०-825/2021 मु०अ०सं०-182/2018, थाना-गोला, जनपद-गोरखपुर के मामले में उन पर आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम, 2003 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण सन्तोष उर्फ ईश्वर ज्वैलर्स एवं कुर्बान उर्फ समीर जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक-14.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक-14.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.03.16 10:32:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court